

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक/नर्सिंग/सामान्य/परि0/2019/

दिनांक:-

परिपत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान मे आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अराजपत्रित संवर्ग के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति/अन्य कारणों से रिक्त होने वाले पदों पर अपने स्तर से ही अन्य कार्मिकों का समायोजन व वेतन आहरण के आदेश जारी कर दिये जाते हैं जिसके कारण निदेशालय स्तर से पदस्थापन एवं वेतन आहरण करने की स्वीकृति जारी हो जाने के पश्चात भी कार्मिकों को परेशानी का सामना करना पडता है।

अतः समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिये जाते है कि अपने स्तर से इस प्रकार के आदेश जारी नही करें निदेशालय से स्वीकृति उपरान्त ही समायोजन/वेतन आहरण के आदेशों की पालना सुनिश्चत की जावें।

- 51 -

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।

दिनांक - 21/8/19

क्रमांक/नर्सिंग/सामान्य/परि0/2019/202

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, (जनस्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान।
5. समस्त प्रधानाचार्य, एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविधालय राजस्थान।
6. समस्त अधीक्षक, सलग्न चिकित्सालय संघ समूह राजस्थान।
7. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-राजस्थान।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
10. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।